Eastern Railway
(Personnel Department)
17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 07/2019

No. E.839/0/1/Pt.VI

Kolkata, Dated: 14/01/2019

All Concerned
(as per standard list)

Sub: Consolidation of existing instructions on NBR for strict compliance - regarding.

******

The instructions of Ministry of Railways (Railway Board) on the above cited subject issued vide their F. No. F(E)II/2018/3(4)/1 dated 28/12/2018 (**RBE No. 203/2018**) along with their Hindi version are communicated herewith for information and necessary action. Copy of each of the orders mentioned therein is available in official website of the Ministry i.e. www.indianrailways.gov.in ⟶ Railway Board Directorates ⟶ Finance ⟶ FE-II
DA: As above

(**Anjan Ray**)
Dy. Chief Personnel Officer/Gaz.
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone No.:24104 (Rly.)

Index No. 1036: Detailed guidelines on NBR.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
.....

RBE No. 203/2018

F.No.F(E)II/2018/3(4)/1 New Delhi, dt.28.12.2018

The General Managers/Pr. Financial Advisors,
All Indian Railways & Production Units incl. RDSO,
(As per Standard Mailing list).

Sub:- Consolidation of existing instructions on NBR for strict compliance - regarding.

....

The issue of delay in grant of NBR to the officials who are away from the cadre at the time of promotion of their juniors in the cadre has been examined by Board and it has been observed by Board that extant instructions of DOP&T on NBR are clear that only such number of officers can be granted NBR as number of vacancies available in the cadre. NBR can be granted to officers subject to available vacancy in the cadre for want of juniors for promotion. In cases where 'immediate junior' has been passed over by reason of inefficiency or unsuitability or because he is on leave or serving outside the ordinary line or forgoes officiating promotion of his own volition to that scale, the officer next junior to him not so passed over would be considered for NBR to senior officer. Accordingly, it has been decided not to link NBR with 'immediate junior' if that junior has been passed over by one of the aforesaid reasons, while considering the cases of NBR.

2. Accordingly, to make the administrative process of grant of NBR, quick and hassle free a copy of each of the following orders is sent herewith for guidance and strict compliance:

(i) Railway Board's letter No. F(E)II/71/PA/7/1 dated 21.10.1971,

(ii) Railway Board's letter No. F(E)II/85/PA/3/1 dated 10.11.1985,

(iii) Railway Board's letter No. F(E)II/2005/NBR dated 23.11.2005 adopting DOP&T's OMs No. 2/13/93-Estt.(Pay-II) dated 26.10.1993, No. 2/2/2004-Estt.(Pay-II) dated 01.06.2005,

(iv) Railway Board's letter No. 2010/F(E)II/I(I)/I dated 28.06.2013 adopting DOP&T's OM No. 6/5/2012-Estt.(Pay-II) dated 30.11.2012,

(v) M/o Finance's letter No. F.2(25)-Estt.III/46 dated 02.04.1947,

(vi) M/o Finance's letter No. F.2(10)-E.III/60 dated 17.10.1960,

(vii) M/o Finance's letter No. 1(7)-E.IV(A)/62 dated 18.06.1962,

(viii) M/o Finance's letter No. F.1(7)-E.III(A)/78 dated 14.03.1978,

(ix) DOP&T's OM No. 22038/1/88-Estt.(D) dated 22.11.1990.

3. Further, in case of any clarification required on the issue, Government of India's order on Next Below Rule under FR-22 may also be referred.

4. Please acknowledge receipt.

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board
Issue with Enclosure
Signature
Date of Issue 28/12/2018

(Sonali Chaturvedi)
Dy. Director Finance(Estt.)
Railway Board.

F.No.F(E)II/2018/3(4)/1 New Delhi, dt.28.12.2018

Copy forwarded to the Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan.

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)
*****

आर: बी. ई. क्र. 203/2018

फाईल सं. एफ(ई)।।/2018/3(4)/1 नई दिल्ली, दिनांक 20.12.2018

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं अ.अ.मा.सं. सहित उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: एनबीआर के लिए मौजूदा अनुदेशों के एकीकरण का कड़ाई से अनुपालन करने के संबंध में।

....

बोर्ड द्वारा उन पदाधिकारियों, जो संवर्ग में अपने जूनियरों की पदोन्नति के समय संवर्ग से बाहर होते हैं, को एनबीआर प्रदान करने में हुए विलंब के मामले की जांच की गई और बोर्ड द्वारा यह पाया गया है कि एनबीआर के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा अनुदेशों में यह स्पष्ट है कि केवल उतने ही पदाधिकारियों को एनबीआर प्रदान किया जा सकता है, जितनी की संवर्ग में रिक्तियों उपलब्ध हैं। पदोन्नति हेतु जूनियर उपलब्ध न होने पर संवर्ग में उपलब्ध रिक्ति के अनुसार पदाधिकारियों को एनबीआर प्रदान किया जा सकता है। ऐसे मामलों, जहां 'निकटतम जूनियर' को, अकुशलता अथवा अनुपयुक्तता अथवा उसके छुट्टी पर होने अथवा उसके नियमित कार्यक्षेत्र से बाहर सेवा कर रहे होने अथवा उसके इस वेतनमान में अपनी इच्छा से स्थानापन्न अथवा पदोन्नति को त्याग देने के कारण छोड़ दिया गया हो, में उससे अगले जूनियर को, जिसे इस कारण से छोड़ा न गया हो, को सीनियर अधिकारी का एनबीआर प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, एनबीआर के मामलों में विचार करते समय 'निकटतम जूनियर', यदि उसे ऊपर उल्लिखित कारणों में से किसी एक कारण से छोड़ा गया हो, के साथ एनबीआर को न जोड़े जाने का विनिश्चय किया गया है।

2. तदनुसार, एनबीआर प्रदान करने की प्रशासनिक कार्यपद्धति को तीव्र और परेशानी रहित बनाने तथा मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित आदेशों की एक प्रति कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ भेजी जा रही है:

(i) रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.10.1971 का पत्र सं. एफ(ई)।।/71/पीए/7/1,
(ii) रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.11.1985 का पत्र सं. एफ(ई)।।/85/पीए/3/1,
(iii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.01.1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/13/93-एस्ट(पे-।।) एवं दिनांक 01.06.2005 के कार्यालय ज्ञापन सं.2/2/2004-एस्ट(पे-।।), जिसे रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.11.2005 के पत्र सं. एफ(ई)।।/2005/एनबीआर के तहत अपनाया गया है।
(iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2012-एस्ट(पे-।।) जिसे रेलवे बोर्ड के दिनांक 28.06.2013 के पत्र सं. 2010/एफ(ई)।।/।(।)/। के तहत अपनाया गया है।
(v) वित्त मंत्रालय का दिनांक 02.04.1947 का पत्र सं. एफ.2(25)-एस्ट.।।।/46,
(vi) वित्त मंत्रालय का दिनांक 17.10.1960 का पत्र सं. एफ.2(10)-ई।।।/60,
(vii) वित्त मंत्रालय का दिनांक 18.06.1962 का पत्र सं.1(7) ई.IV(ए)/62,
(viii) वित्त मंत्रालय का दिनांक 14.03.1978 का पत्र सं. एफ.1(7)-ई.।।।(ए)/78,
(ix) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 22.11.1990 का कार्यालय ज्ञापन सं. 22038/1/88-एस्ट(डी).

3. इसके अलावा, किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में एफआर-22 के तहत नेक्स्ट बिलो रूल के संबंध में भारत सरकार के आदेशों को देखें।

4. कृपया पावती दें।

सोनाली चतुर्वेदी

(सोनाली चतुर्वेदी)
उप निदेशक वित्त (स्थापना)
रेलवे बोर्ड

फाईल सं. एफ(ई)।।/2018/3(4)/1 नई दिल्ली, दिनांक 20.12.2018

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, को प्रतिलिपि अग्रेषित।

NBR